संख्या-58/2021/897/22-2-2021-21(15)/2020

प्रेषक,

करूणेश कुमार सिंह,
संयुक्त सचिव
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

पुलिस महानिदेशक/महानिरीक्षक,
कारागार प्रशासन एवं सुधार सेवायें,
उत्तर प्रदेश, लखनऊ।

कारागार प्रशासन एवं सुधार अनुभाग-2 ***लखनऊ दिनांक 19 मई, 2021***

विषय:- केन्द्रीय कारागार, फतेहगढ़ में निरूद्ध सिद्धदोष बन्दी आदिल उर्फ सिरान पुत्र श्री सुफियान, निवासी जनपद-प्रयागराज की फार्म-ए के आधार पर समयपूर्व रिहाई के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक अपने पत्र संख्या-5182/प्रोवेशन-3/फार्म-ए/(एम-02.03.2021) दिनांक-03.03.2021 का कृपया संदर्भ ग्रहण करें।

2- आपके उक्त पत्र द्वारा उपलब्ध कराये गये प्रस्तावानुसार केन्द्रीय कारागार, फतेहगढ़ में निरूद्ध सिद्धदोष बन्दी आदिल उर्फ सिरान पुत्र श्री सुफियान, 106/94 बख्तियारी कचहरी रोड पुराना कटरा, थाना-कर्नलगंज, जनपद-प्रयागराज का निवासी है। दिनांक 04.12.2005 को बन्दी द्वारा संपत्ति के विवाद को लेकर व पुरानी रंजिश में अपने 03 सहअभियुक्तों के साथ मिलकर तमंचा से गोली मारकर वादिनी की सास श्रीमती परवीन अख्तर की हत्या कर दी व 01 अन्य व्यक्ति को घायल कर दिया। उक्त अपराध हेतु बन्दी को सत्र परीक्षण संख्या-957/2006 में भा0द0वि0 की धारा-302/34, 307/34 के अन्तर्गत मा0 अपर सत्र न्यायाधीश कोर्ट नं0-01, इलाहाबाद के आदेश दिनांक 27.03.2009 द्वारा आजीवन कारावास से दण्डित किया गया, जिसे मा0 उच्च न्यायालय के आदेश दिनांक 03.08.2018 द्वारा यथावत रखा गया है। बन्दी द्वारा दिनांक 25.02.2021 तक 15 वर्ष 02 माह 18 दिन की अपरिहार सजा तथा 19 वर्ष 02 माह 02 दिन की सपरिहार सजा भोगी गयी है। जिला प्रोबेशन अधिकारी, वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक एवं जिला मजिस्ट्रेट, प्रयागराज द्वारा मा0 उच्चतम न्यायालय द्वारा निर्दिष्ट 05 बिन्दुओं की आख्या में बन्दी का अपराध समाज को व्यापक रूप से प्रभावित किये बिना व्यक्ति विशेष तक सीमित अपराध की श्रेणी में न होने, बन्दी द्वारा भविष्य में अपराध करने का अवसर होने, आयु 36 वर्ष होने के कारण पुन: अपराध करने में अशक्त न होने, अपराध कारित करने से रोकने के लिए जेल में और आगे निरूद्ध रखने का सार्थक प्रयोजन होने, बन्दी अपराधिक प्रवृत्ति का व्यक्ति है, जो रिहा होने पर पुन: अपराध कारित कर सकता है, की आख्या अंकित करते हुए समयपूर्व रिहाई की संस्तुति नहीं की गयी है। बोर्ड के सदस्यों का अभिमत है कि बन्दी का अपराध समाज को व्यापक रूप से प्रभावित करने, अशक्त न होने, जेल में आगे और निरूद्ध रखने का प्रयोजन होने की आख्या का अंकन जनपदीय अधिकारियों द्वारा निर्दिष्ट 05 बिन्दुओं की आख्या में किया गया है। इस प्रकार बन्दी द्वारा किये गये अपराध की गंभीरता, जघन्यता, समाज को प्रभावित करने वाले अपराधिक कृत्य, दोनों पक्षों के मध्य विवाद समाप्त न होने, पड़ोसियों में भय व्याप्त होने, बन्दी के अपराधिक प्रवृत्ति का होने के कारण लोगों में दहशत होने, जिला प्रोबेशन अधिकारी, पुलिस अधीक्षक एवं जिला मजिस्ट्रेट द्वारा समयपूर्व रिहाई का विरोध किये जाने एवं अन्य सभी बिन्दुओं पर सम्यक् विचार करते हुए प्रिजनर्स रिलीज आन प्रोवेशन एक्ट, 1938 की धारा-2 के अन्तर्गत सिद्धदोष बन्दी आदिल उर्फ सिरान पुत्र श्री सुफियान को फार्म-ए/लाईसेंस के आधार पर रिहा किये जाने की **संस्तुति नहीं** की गयी है।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in

3- प्रश्नगत प्रकरण मा0 उच्चतम न्यायालय, नई दिल्ली में योजित विशेष अनुज्ञा याचिका (क्रिमि0) डायरी संख्या-17219/2020 आदिल उर्फ सिरान बनाम उ0प्र0 राज्य व अन्य में पारित आदेश दिनांक 16.09.2020 के समादर में तथा उपरोक्त वर्णित तथ्यों के परिप्रेक्ष्य में मुझे यह सूचित करने का निदेश हुआ है कि बन्दी आदिल उर्फ सिरान (बन्दी संख्या-26607) पुत्र श्री सुफियान, निवासी जनपद-प्रयागराज के फार्म-ए पर यू0पी0 प्रिजनर्स रिलीज आन प्रोबेशन एक्ट,1938 की धारा-2 के प्राविधानों के अन्तर्गत सम्यक् विचारोपरान्त उसे मुक्ति का पात्र नहीं पाया गया है। अतएव उक्त बन्दी की लाइसेन्स पर मुक्ति श्री राज्यपाल द्वारा अस्वीकार कर दी गयी है। तदनुसार उसके फार्म-ए पर शासन के आदेश अंकित करके एतद्द्वारा वापस लौटाया जा रहा है। कृपया प्राप्ति स्वीकार करते हुए शासन के निर्णय से बन्दी को तत्काल अवगत कराने का कष्ट करें।

संलग्नक: यथोपरि।

(बन्दी का फार्म-ए एवं समस्त पत्रादि सहित)

भवदीय,

करूणेश कुमार सिंह
संयुक्त सचिव।

संख्या-58/2021/897(1)/22-2-2021 तद्दिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1- जिला मजिस्ट्रेट, प्रयागराज।

2- वरिष्ठ अधीक्षक, केन्द्रीय कारागार, फतेहगढ़।

3- निजी सचिव, मा0 राज्य मंत्री, कारागार प्रशासन एवं सुधार विभाग, उ0प्र0 शासन को मा0 मंत्री जी को सूचनार्थ।

4- गार्ड फाईल।

आज्ञा से,

अजय कुमार तिवारी
अनु सचिव।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in

शासनादेश संख्या-58/2021/897/22-2-2021-21(15)/2020

दिनांक 19 मई, 2021 का संलग्नक

सरकार के आदेश

केन्द्रीय कारागार, फतेहगढ़ में निरूद्ध सिद्धदोष बन्दी आदिल उर्फ सिरान पुत्र श्री सुफियान, 106/94 बख्तियारी कचहरी रोड पुराना कटरा, थाना-कर्नलगंज, जनपद-प्रयागराज का निवासी है। दिनांक 04.12.2005 को बन्दी द्वारा संपत्ति के विवाद को लेकर व पुरानी रंजिश में अपने 03 सहअभियुक्तों के साथ मिलकर तमंचा से गोली मारकर वादिनी की सास श्रीमती परवीन अख्तर की हत्या कर दी व 01 अन्य व्यक्ति को घायल कर दिया। उक्त अपराध हेतु बन्दी को सत्र परीक्षण संख्या-957/2006 में भा0द0वि0 की धारा-302/34, 307/34 के अन्तर्गत मा0 अपर सत्र न्यायाधीश कोर्ट नं0-01, इलाहाबाद के आदेश दिनांक 27.03.2009 द्वारा आजीवन कारावास से दण्डित किया गया, जिसे मा0 उच्च न्यायालय के आदेश दिनांक 03.08.2018 द्वारा यथावत रखा गया है। बन्दी द्वारा दिनांक 25.02.2021 तक 15 वर्ष 02 माह 18 दिन की अपरिहार सजा तथा 19 वर्ष 02 माह 02 दिन की सपरिहार सजा भोगी गयी है। जिला प्रोबेशन अधिकारी, वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक एवं जिला मजिस्ट्रेट, प्रयागराज द्वारा मा0 उच्चतम न्यायालय द्वारा निर्दिष्ट 05 बिन्दुओं की आख्या में बन्दी का अपराध समाज को व्यापक रूप से प्रभावित किये बिना व्यक्ति विशेष तक सीमित अपराध की श्रेणी में न होने, बन्दी द्वारा भविष्य में अपराध करने का अवसर होने, आयु 36 वर्ष होने के कारण पुन: अपराध करने में अशक्त न होने, अपराध कारित करने से रोकने के लिए जेल में और आगे निरूद्ध रखने का सार्थक प्रयोजन होने, बन्दी अपराधिक प्रवृत्ति का व्यक्ति है, जो रिहा होने पर पुन: अपराध कारित कर सकता है, की आख्या अंकित करते हुए समयपूर्व रिहाई की संस्तुति नहीं की गयी है। बोर्ड के सदस्यों का अभिमत है कि बन्दी का अपराध समाज को व्यापक रूप से प्रभावित करने, अशक्त न होने, जेल में आगे और निरूद्ध रखने का प्रयोजन होने की आख्या का अंकन जनपदीय अधिकारियों द्वारा निर्दिष्ट 05 बिन्दुओं की आख्या में किया गया है। इस प्रकार बन्दी द्वारा किये गये अपराध की गंभीरता, जघन्यता, समाज को प्रभावित करने वाले अपराधिक कृत्य, दोनों पक्षों के मध्य विवाद समाप्त न होने, पड़ोसियों में भय व्याप्त होने, बन्दी के अपराधिक प्रवृत्ति का होने के कारण लोगों में दहशत होने, जिला प्रोबेशन अधिकारी, पुलिस अधीक्षक एवं जिला मजिस्ट्रेट द्वारा समयपूर्व रिहाई का विरोध किये जाने एवं अन्य सभी बिन्दुओं पर सम्यक् विचार करते हुए प्रिजनर्स रिलीज आन प्रोवेशन एक्ट, 1938 की धारा-2 के अन्तर्गत सिद्धदोष बन्दी आदिल उर्फ सिरान पुत्र श्री सुफियान को फार्म-ए/लाईसेंस के आधार पर रिहा किये जाने की **संस्तुति नहीं** की गयी है।

उक्त के दृष्टिगत सम्यक् विचारोपरान्त श्री राज्यपाल द्वारा बंदी की फार्म-ए के आधार पर समयपूर्व रिहाई अस्वीकार कर दी गयी है।

करूणेश कुमार सिंह
संयुक्त सचिव।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in